पूर्व मध्य रेल
परिचालन संरक्षा चेतावनी सं0.05/2019
[OPERATING SAFETY ALERT NO.05/2019]

विषयः–परिचालनिक लापरवाही : किसी प्रतिपुरुष द्वारा पैनल का संचालन (Proxy Operation of Panel) के संबंध में।

अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि गाड़ियों का लाइन क्लियर लेने–देने के लिए ब्लॉक यंत्र का संचालन एवं गाड़ियों को स्टेशन में लेने अथवा स्टेशन से खुलाने के लिए पैनल का संचालन स्टेशन मास्टर की जगह किसी अन्य के द्वारा करता हुआ पाया गया है। ऐसा किया जाना GR 1.02(53) एवं BWM 1.11 का सीधा उल्लंघन है।

अनधिकृत पैनल एवं ब्लॉक यंत्र संचालन की घटना को काफी गंभीरता से लेते हुए प्रशासन इस "संरक्षा चेतावनी" के माध्यम से सर्व संबंधित को सचेत करते हुए निम्न निर्देश देती है :-

(1) स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी के दौरान सजग एवं सतर्क रहें एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य से ब्लॉक यंत्र/पैनल संचालन ना करवाएं।

(2) यातायात निरीक्षकों (TI) एवं स्टेशन अधीक्षक को भी निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में निगरानी रखें और संबंधित स्टाफ को अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करें। ऐसी लापरवाही से होने वाले खतरे/दुष्परिणाम से भी अवगत कराएं।

यातायात निरीक्षक (TI) एवं स्टेशन अधीक्षक भी इस बात के लिए उत्तरदायी ठहराये जाएंगे यदि उनके सेक्शन/स्टेशन पर इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो पकड़े जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

(3) सेक्शन कंट्रोलर भी इस बात का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार होंगे कि कंट्रोल फोन पर बात करने वाला व्यक्ति कार्यरत स्टेशन मास्टर ही है। किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा गाड़ी परिचालन सम्बंधी बात किए जाने पर इसका संज्ञान लें।

उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, मंडल परिचालन प्रबंधक, सहायक परिचालन प्रबंधक को आगाह किया जाता है कि इस प्रकार की लापरवाही से संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। संरक्षा चेतावनी की प्रति (copy) सभी संबंधितों, स्टेशनों, कंट्रोल कार्यालय इत्यादि को समुचित संख्या में वितरित की जाए।

उपर (1),(2),(3) में वर्णित निर्देशों के सम्बंध में स्टेशन मास्टर/ सहायक स्टेशन मास्टर, यातायात निरीक्षकों एवं सेक्शन कन्ट्रोलरों से एक प्रतिज्ञा (Pledge) नीचे दिये गये प्रारुप में लिया जाए।

प्रतिज्ञा (Pledge)

मैं, ---------- प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं कि अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान रहूँगा/रहुँगी और संरक्षा चेतावनी में वर्णित निर्देशों का कठोरता से पालन करूंगा/करूँगी। दोषी पाए जाने पर सजा पाने का हकदार हूंगा/ हूंगी।

हस्ताक्षर

.....

पदनाम.....

दिनांक.....

उपरोक्त प्रोफार्मा में ली गई प्रतिज्ञा (Pledge) का अभिलेख (Record) रखते हुए इसकी विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भेजें।

(सलिल कुमार झा)
प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं0:ई.सी.आर/परि.संरक्षा/संरक्षा परिपत्र/73/505, दिनांक 26.11.2019

प्रतिलिपिः

(1) सचिव/महाप्रबंधक/पूमरे, हाजीपुरः- कृपया महाप्रबंधक महोदय को सूचनार्थ।
(2) मुख्य संरक्षा अधिकारी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(3) मंडल रेल प्रबंधक-धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
(4) वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक-धनबाद,दानापुर,मुगलसराय,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
(5) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी-धनबाद,दानापुर,मुगलसराय,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

28-11-19

15 copies